(43)

2018/00042

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – राजस्व लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, कैम्प कोर्ट, ग्राम पंचायत, सहनीवाला तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

चैनाराम की बनाम सरकार

81/2018

किस्म मुकदमा – 88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

नम्बर मुकदमा 196/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/05/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत, ग्राम पंचायत, सहनीवाला पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पुरतील की गई । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 ग्राम 16 GHD के खाता संख्या 35 पर उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति गलत दर्ज चला आ रहा है । प्रार्थी का राशन कार्ड/पहचान पत्र/आधार कार्ड में उसका नाम/~~ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति~~ भागूराम दर्ज है । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों में भिन्नता के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है । अतः एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत दुरूस्ती फरमाई जावे । हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, लूनकरनसर से रिपोर्ट तलब की । तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जमाबंदी व दस्तावेजात में भिन्नता लिपिकीय भूलवश होनी नहीं पाई जाती है । प्रार्थी वर्तमान् दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्ती करवाना चाहता है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है । हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रकरण एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत दुरूस्ती का नहीं होकर जरिये घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती का बनता है । अतः प्रकरण धारा 88 आरटीए के तहत दर्ज किया जावे । पैरोकारराज की हैसियत से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर परिवादी के नाम/~~ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति~~ भागीरथ के स्थान पर उसका नाम/ग्राम ~~का नाम/पिता का नाम/जाति~~ भागूराम परिवर्तन की घोषणा की जाती है । तहसीलदार, लूनकरनसर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें । पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील संबंधित कार्यालय को प्रेषित हो । पूर्व में जारी आदेश क्र. 160 दि. 26/5/18 से ख.सं. 34 की शुद्धि का ना. सं. 225 निरस्त किया जाकर ख.सं. 34 में पूर्व का इन्द्राज बहाल किया जावे। 29/05/18 सदस्य राजस्व लोक अदालत — सदस्य राजस्व लोक अदालत — (वीरेन्द्र सिंह यादव) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner